प्रारंभिक परीक्षा

तलाश(TALASH)

संदर्भ

तलाश एक नई पहल है जिसे **NESTS** और **UNICEF** द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत भर के **EMRS** (एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों) में पढ़ने वाले जनजातीय छात्रों में जीवन कौशल, करियर मार्गदर्शन और आत्म-सम्मान को बढ़ावा देना है।

तलाश पहल -

- **द्वारा शुरू किया गया:**
  - जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी (NESTS)।
  - यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से।
- **पूरा नाम:** TALASH – Tribal Aptitude, Life Skills and Self-Esteem Hub (जनजातीय अभिरुचि, जीवन कौशल और आत्म-सम्मान हब)।
- **उद्देश्य:**
  - एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRSs) में जनजातीय छात्रों का समग्र विकास।
  - जनजातीय युवाओं में आत्म-जागरूकता, करियर स्पष्टता और जीवन कौशल को बढ़ाना।
- **महत्त्व:**
  - भारत में विशेष रूप से जनजातीय छात्रों के लिए पहला राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम।
  - 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 1,38,336 से अधिक EMRS छात्रों को लक्षित करता है।
  - समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा को बढ़ावा देता है।

तलाश प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं -

1. **साइकोमेट्रिक मूल्यांकन:**
   - NCERT की 'TAMANA' पहल पर आधारित।
   - छात्र एक सामान्य अभिरुचि परीक्षण (aptitude test) देते हैं, जो उनकी रुचियों और क्षमताओं का मूल्यांकन करता है।
   - उचित करियर विकल्पों की सिफारिश करने वाले **कैरियर कार्ड** प्रदान किए जाते हैं।
2. **करियर परामर्श सहायता:**
   - छात्रों को उनकी अभिरुचि के अनुरूप करियर आकांक्षाओं को संरेखित करने में सहायता करता है।
   - सूचित और आत्मविश्वासपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है।
3. **जीवन कौशल और आत्म-सम्मान मॉड्यूल:**
   - निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित:
     - भावनात्मक नियंत्रण
     - समस्या-समाधान कौशल
     - संचार और पारस्परिक कौशल
   - **लक्ष्य**: छात्रों में मानसिक दृढ़ता और आत्म-विश्वास का विकास।
4. **शिक्षक प्रशिक्षण और ई-लर्निंग पोर्टल:**
   - EMRS शिक्षकों के लिए विशेष डिजिटल संसाधन और प्रशिक्षण।
   - शिक्षकों को शैक्षणिक और व्यक्तिगत रूप से छात्रों का मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाता है।

यह क्यों मायने रखती है?

- जनजातीय छात्रों के बीच 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देना।
- आत्म-खोज, कैरियर की तत्परता और मानसिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है।
- वंचित समुदायों को लक्षित करने वाली भावी शिक्षा पहलों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।

EMRS के बारे में -

- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) विशेष रूप से जनजातीय छात्रों (अनुसूचित जनजाति – ST) के लिए स्थापित पूर्ण आवासीय विद्यालय हैं।**
- इनकी स्थापना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है ताकि कक्षा 6वीं से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके।
- **भारत भर में 470 से अधिक EMRS कार्यरत हैं, जो 1.38 लाख से अधिक छात्रों को सेवा प्रदान कर रहे हैं।**

स्रोत: द हिंदू

मुकदमेबाजी के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए निर्देश

संदर्भ

केंद्र सरकार ने "भारत सरकार द्वारा मुकदमों के कुशल और प्रभावी प्रबंधन हेतु निर्देश" शीर्षक से एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसका उद्देश्य **विकसित भारत 2047** विज़न के तहत अनावश्यक सरकारी मुकदमों को कम करना और कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।

उद्देश्य और दृष्टिकोण -

- **भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में एकीकृत, समन्वित मुकदमा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना।**
- आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार करके दोहरावपूर्ण, संसाधन-भारी मुकदमेबाजी को कम करना।

अंतर्निहित चुनौतियों की पहचान -

- सेवा, पेंशन, भूमि अधिग्रहण, संविदात्मक और मौलिक अधिकार विवादों सहित मामलों का अत्यधिक बोझ।
- **कानूनी क्षमता का अभाव:** अधिकांश विभागों में समर्पित कानूनी प्रकोष्ठों का अभाव है; मामलों को संभालने वाले अधिकारियों में अक्सर कानूनी प्रशिक्षण का अभाव होता है।
- नियमों की संकीर्ण व्याख्या, अनुचित प्रक्रियाओं, अस्पष्ट नीतियों और निर्णयों के कार्यान्वयन में विफलता के कारण बार-बार मुकदमेबाजी।

जारी किए गए प्रमुख निर्देश -

1. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में विधिक प्रकोष्ठ/मुकदमेबाजी इकाइयाँ स्थापित की जाएँ।
2. मुकदमेबाजी से निपटने, आवधिक समीक्षा, अवमानना से बचाव और आदेशों के अनुपालन को कवर करने वाली **मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs)** का मानकीकरण किया जाए।
3. मामलों की अनिवार्य समीक्षा की जाए, विशेष रूप से आवर्ती और उच्च-दांव वाले मुकदमों की।
4. विभागीय अधिकारियों के लिए आंतरिक विशेषज्ञता को बढ़ावा देने हेतु कानूनी प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए।
5. **समन्वय बढ़ाया जाए:** अंतर-विभागीय निगरानी, निर्णय अनुपालन और फीडबैक लूप का उपयोग किया जाए।
6. **डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया जाए:** मुकदमेबाजी के पैटर्न का विश्लेषण करने और नीति सुधारों को सूचित करने के लिए **LIMBS** जैसे केस-ट्रैकिंग टूल का उपयोग किया जाए।

स्रोत: स्वराज्यमैगजीन

कृषि निगरानी और घटना जाँच (AMED)

संदर्भ

गूगल ने कृषि निगरानी और घटना जांच (AMED) API लॉन्च किया है, जो एक ऐसा उपकरण है जो पूरे भारत में फसल की स्थिति और कृषि गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

कृषि निगरानी और घटना जाँच (AMED) API के बारें में -

- **API के बारे में**:
  - AMED गूगल द्वारा विकसित एक AI-आधारित ओपन-सोर्स API है।
  - पूरे भारत में खेत-स्तर पर फसल निगरानी और कृषि संबंधी घटनाओं का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - निम्नलिखित पर डेटा प्रदान करता है:
    - प्रत्येक खेत में फसल का प्रकार
    - फसल का मौसम और खेत का आकार
    - पिछले 3 वर्षों की ऐतिहासिक कृषि गतिविधि
  - प्रत्येक फसल के लिए विशिष्ट मिट्टी, पानी, जलवायु स्थितियों और विकास पैटर्न की निगरानी में मदद करता है।
- **प्रयुक्त तकनीक**:
  - उपग्रह इमेजरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ संयोजित करता है।
  - यह गूगल के पहले के कृषि परिदृश्य समझ (ALU) अनुसंधान API पर आधारित है।
- **लाभ और अनुप्रयोग**:
  - कृषि-स्तरीय निर्णय लेने और फसल प्रबंधन को बढ़ाता है।
  - फसल की उपज का पूर्वानुमान लगाने और तदनुसार निवेश की योजना बनाने में सहायता करता है।
  - बेहतर उत्पादकता के लिए स्थान-विशिष्ट फसल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
- **पहुँच और अपडेट**:
  - कृषि-तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए API को कृषि स्टार्टअप के साथ साझा किया जा रहा है।
  - डेटा को हर दो सप्ताह में अपडेट किया जाता है, जिससे वास्तविक समय, क्षेत्र-स्तरीय निगरानी संभव हो पाती है।

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र (CIMMYT)

संदर्भ

CIMMYT 1 जुलाई 2025 से **USAID** (संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी) द्वारा वित्तीय सहायता बंद किए जाने के बाद भारत सरकार और निजी क्षेत्र से वित्तीय सहयोग के लिए संपर्क कर रहा है।

- **USAID 2024 में CIMMYT का सबसे बड़ा दाता था, जिसने इसके 211 मिलियन डॉलर के कुल राजस्व में 83 मिलियन डॉलर का योगदान दिया।**

पृष्ठभूमि और विरासत -

- **नॉर्मन बोरलॉग द्वारा स्थापित, CIMMYT ने लेर्मा रोजो 64A, सोनोरा 63 और सोनोरा 64 जैसी उच्च उपज वाली गेहूं किस्मों के साथ भारत की हरित क्रांति का नेतृत्व किया।**
- इन किस्मों ने 1960 और 70 के दशक में भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद की।

भारत का योगदान और लाभ -

- भारत CIMMYT के गेहूं ब्रीडिंग कार्यक्रमों का एक प्रमुख लाभार्थी रहा है।
- भारत में अब 50% से अधिक गेहूं की खेती 2019 के बाद जारी की गई किस्मों से होती है - जिन्हें CIMMYT और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) जैसे भारतीय संस्थानों के बीच सहयोग से विकसित किया गया है।

हाल की उपलब्धियां -

- 2024 में, भारतीय किसानों ने लगभग 3.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की, जिसमें से 60% से अधिक क्षेत्र में CIMMYT से विकसित किस्मों का उपयोग किया गया।
- **उदाहरण**: डीबीडब्लू 303, "दक्षिण एशिया में सबसे तेज गेहूं किस्म" ने 8 टन/हेक्टेयर से अधिक अनाज उपज हासिल की।

प्रमुख सहयोग -

- **CIMMYT और भारत संयुक्त रूप से बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया (BISA) का संचालन करते हैं, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी।**
- CIMMYT भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (करनाल) जैसे ICAR संस्थानों के साथ मिलकर काम करता है।

भविष्य पर ध्यान -

- CIMMYT अपने कार्य को जारी रखने के लिए नए वित्तपोषण स्रोतों की तलाश कर रहा है:
    - उन्नत ब्रीडिंग कार्यक्रम
    - जलवायु-लचीली फसल अनुसंधान
    - उच्च उपज, रोग प्रतिरोधी गेहूं का विकास
- वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि नवाचार में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस

संपादकीय सारांश

विश्व जनसंख्या दिवस

संदर्भ

विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष **11 जुलाई** को मनाया जाता है।

विश्व जनसंख्या दिवस -

- **विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा की गई थी। इसकी प्रेरणा 11 जुलाई 1987 को मनाए गए "Day of Five Billion" से मिली, जब विश्व जनसंख्या 5 अरब तक पहुँची थी।**
- **उद्देश्य**: परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानवाधिकार जैसे जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना।
- **विषय 2025: "युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना"**
- **फोकस:** युवाओं के अधिकार, सशक्तिकरण और अवसर, विशेष रूप से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में।

जनसंख्या का वर्तमान परिदृश्य -

- **वैश्विक रुझान:**
  - **विश्व जनसंख्या (2024):** 8.2 बिलियन (यूएन डब्ल्यूपीपी 2024)।
  - **अनुमानित शिखर:** 2080 तक ~10.3 बिलियन; 2100 तक धीमी गिरावट के साथ ~10.2 बिलियन।
  - कई देशों में प्रजनन दर में गिरावट के कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी हो रही है।
- **भारत का संदर्भ:**
  - **भारत 2024 में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है।**
  - भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है: UNICEF के अनुसार 15-29 आयु वर्ग के 37.1 करोड़ युवा।
  - प्रजनन दर (TFR) लगभग प्रतिस्थापन स्तर (2.0) के पास या उससे नीचे पहुँच गई है (NFHS-5 के अनुसार)।
  - क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ अब भी बनी हुई हैं।
- **बदलता विमर्श:**
  - "जनसंख्या विस्फोट" की चिंता से अब जनसंख्या में गिरावट और जनसंख्या की वृद्धावस्था को लेकर चिंता की ओर बदलाव हो रहा है।
  - कई बार अपर्याप्त जानकारी पर आधारित आवाज़ें "जनसंख्या पतन" की भविष्यवाणी करती हैं; जबकि आंकड़े जनसंख्या गतिकी (population momentum) के कारण इसके विपरीत संकेत देते हैं — अर्थात, TFR प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिरने के बाद भी जनसंख्या वृद्धि कुछ दशकों तक जारी रहती है।

वर्तमान जनसंख्या प्रवृत्तियों से जुड़ी चुनौतियाँ -

- **जनसंख्या गति और वृद्धावस्था:** कम प्रजनन क्षमता के बावजूद, बड़ी युवा आबादी वृद्धि (जनसंख्या गति) को बनाए रखती है।
  - विकसित और कुछ विकासशील देशों में वृद्ध होती आबादी पेंशन बोझ और सिकुड़ते कार्यबल (जैसे, जापान, इटली) के बारे में चिंताएं पैदा करती है।

- **अवास्तविक प्रजनन आकांक्षाएं:** वित्तीय, सामाजिक और बुनियादी ढाँचे संबंधी बाधाओं के कारण कई लोगों की अपनी इच्छा से कम बच्चे होते हैं।
    - **उदाहरण:** यूएनएफपीए (2025) ने पाया कि वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण किए गए 40% व्यक्ति अपने वांछित परिवार का आकार प्राप्त नहीं कर सके।
- **सामाजिक और लैंगिक मुद्दे:** प्रजननवादी नीतियां कभी-कभी महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर अंकुश लगाती हैं और रूढ़िवादिता को मजबूत करती हैं।
    - बच्चे न पैदा करने का विकल्प चुनने वाली महिलाओं को कलंकित किया जाता है; उन लोगों की उपेक्षा की जाती है जो बच्चे चाहती हैं लेकिन उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **परिवार निर्माण में बाधाएं:** इसमें बच्चों की देखभाल की उच्च लागत, किफायती आवास की कमी, नौकरी की असुरक्षा और अपर्याप्त कार्य-परिवार संतुलन शामिल हैं।
    - **उदाहरण:** भारत में मुख्य बाधाएं वित्तीय (38%), आवास (22%), बाल देखभाल (18%), और बेरोजगारी (21%) हैं - यूएनएफपीए 2025।
- **जातीय-राष्ट्रवादी और बलपूर्वक प्रतिक्रियाएँ:** कुछ देश प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए जातीय-राष्ट्रवादी आख्यानों या बलपूर्वक उपायों का सहारा लेते हैं, जो नैतिक रूप से समस्याग्रस्त और काफी हद तक अप्रभावी हैं।

समाधान और आगे की राह -

- **प्रजनन स्वायत्तता और विकल्प का समर्थन करना:** सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को, उनके वांछित परिवार के आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करें - न तो जन्म के लिए मजबूर करें और न ही बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगाएं।
    - **उदाहरण:** स्वीडन की परिवार-अनुकूल नीतियां माता-पिता की छुट्टी, सार्वभौमिक बाल देखभाल और लचीले कार्य विकल्पों पर जोर देती हैं, तथा स्वैच्छिक प्रजनन क्षमता का समर्थन करती हैं।
- **सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश करना:** माता-पिता बनने में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए किफायती आवास, गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल और सुरक्षित रोजगार तक पहुंच में सुधार करें।
    - **उदाहरण:** दक्षिण कोरिया में एक दशक तक जन्म दर में गिरावट के बाद, आवास, बाल देखभाल और नौकरी सुरक्षा में निवेश के बाद जन्म दर में मामूली वृद्धि देखी जा रही है।
- **कार्य और पारिवारिक जीवन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** मातृत्व के लिए कार्यस्थल पर दंड को समाप्त करना; साझा अभिभावकीय जिम्मेदारियों को प्रोत्साहित करना।
    - **उदाहरण:** नॉर्वे माता-पिता दोनों के लिए उदार पैतृक अवकाश प्रदान करता है तथा बच्चों की देखभाल में पिता की भागीदारी को बढ़ावा देता है।
- **जबरदस्ती और लक्ष्य-आधारित प्रजननवाद को हतोत्साहित करना:** शिशु बोनस या नकद प्रोत्साहन से बचें जो मूल कारणों को संबोधित किए बिना पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को मजबूत करते हैं।
    - महिलाओं और परिवारों को समग्र रूप से समर्थन देते हुए दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए जनसंख्या गति का लाभ उठाना:** भारत जैसे देशों को अपनी बड़ी युवा आबादी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करना चाहिए।
    - **उदाहरण:** भारत की स्किल इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं का उद्देश्य युवाओं की क्षमता का दोहन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है।
- **डेटा-संचालित और संदर्भ-विशिष्ट दृष्टिकोण:** नीतिगत निर्णय ठोस डेटा से सूचित होने चाहिए और वैश्विक भय-भ्रम के बजाय स्थानीय संदर्भों के अनुरूप होने चाहिए।
    - **उदाहरण:** लक्षित हस्तक्षेपों को डिजाइन करने के लिए भारत में एनएफएचएस का नियमित उपयोग।
- **कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** कार्यबल की कमी को अधिक जन्म देने के लिए मजबूर करके नहीं, बल्कि अधिक महिलाओं को काम करने में सक्षम बनाकर दूर करना।
    - **उदाहरण:** कनाडा और फ्रांस में कामकाजी माताओं को समर्थन देने वाली नीतियों से कार्यबल में भागीदारी और जन्म दर दोनों में सुधार हुआ है।

भारत की युवा आबादी की क्षमता -

- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** यदि उचित तरीके से उपयोग किया जाए, तो भारत का युवा कार्यबल 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा सकता है (विश्व बैंक/नीति आयोग का अनुमान)।
- **सामाजिक प्रगति:** नवाचार, आर्थिक विकास और बेहतर सामाजिक संकेतकों (स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास) को बढ़ावा दे सकती है।
- **चुनौतियाँ:** यदि शिक्षा, कौशल और अवसरों से लैस नहीं किया गया तो यह क्षमता जनसांख्यिकीय बोझ (बेरोजगारी, सामाजिक अशांति) में बदल सकती है।

भारत में युवा महिला-उन्मुख चुनौतियाँ -

- **प्रजनन स्वायत्तता:** 36% भारतीय वयस्क अनचाहे गर्भधारण का सामना करते हैं; 30% प्रजनन लक्ष्य पूरे न होने की रिपोर्ट देते हैं (यूएनएफपीए, 2025)।
- **बाल विवाह:** 2006 से प्रचलन में आधे की कमी आई है, लेकिन यह 23.3% पर उच्च स्तर पर बना हुआ है (एनएफएचएस-5, 2019-21)।
- **किशोर गर्भावस्था:** 15-19 वर्ष की आयु के लिए राष्ट्रीय औसत 7% है, जबकि कुछ राज्यों में यह दर दोगुनी से भी अधिक है।
- **शिक्षा अंतराल:** सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे उनका सशक्तिकरण प्रभावित होता है।
- **श्रम बल में कम भागीदारी:** सीमित आर्थिक अवसर; केवल 20% महिलाएं ही औपचारिक कार्यबल में भाग लेती हैं।
- **लिंग आधारित भेदभाव और सामाजिक बाधाएं:** लगातार सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं स्वास्थ्य, रोजगार और नेतृत्व में महिलाओं के विकल्पों और अवसरों को सीमित करती हैं।

महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सफल सरकारी और गैर-सरकारी पहल -

पहल	उद्देश्य/फोकस	प्रभाव/परिणाम
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करना	बेहतर लिंगानुपात, स्कूल नामांकन में वृद्धि
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	किशोर स्वास्थ्य, पोषण, एसआरएच शिक्षा में सुधार	किशोर प्रजनन दर में कमी, जागरूकता में वृद्धि
प्रोजेक्ट उड़ान (राजस्थान)	लड़कियों को स्कूल में रखना, बाल विवाह कम करना, एसआरएच जागरूकता	30,000 बाल विवाह रोके गए, 15,000 किशोर गर्भधारण टाले गए
अद्विका (ओडिशा)	बाल विवाह रोकना, शिक्षा और कौशल के माध्यम से किशोरों को सशक्त बनाना	11,000 गांव बाल विवाह मुक्त घोषित; 2022 तक 950 शादियां रोकी गई
प्रोजेक्ट मंज़िल (राजस्थान)	कौशल और नौकरियों के माध्यम से युवा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण	28,000 लड़कियों को प्रशिक्षित किया गया, 16,000 को कुशल नौकरियों में नियुक्त किया गया

क्या किया जा सकता है?

- **शिक्षा तक पहुंच का विस्तार:** सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा, विशेष रूप से लड़कियों के लिए; नकद हस्तांतरण और छात्रवृत्ति का लाभ उठाना।

    - **उदाहरण के लिए,** प्रोजेक्ट उड़ान
- **यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य (एसआरएच) सेवाओं को बढ़ाना:** गर्भनिरोधक, मातृ स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भपात और एसआरएच जानकारी तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
    - **उदाहरण के लिए,** राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
- **आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना:** युवा महिलाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना; उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
    - **उदाहरण के लिए,** प्रोजेक्ट मंज़िल
- **सामाजिक एवं लैंगिक मानदंडों पर ध्यान देना:** व्यवहार परिवर्तन के लिए निरंतर संचार को लागू करें, हानिकारक मानदंडों को चुनौती देने में समुदायों को शामिल करना।
    - **जैसे,** बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अद्विका कार्यक्रम
- **बहु-क्षेत्रीय निवेश:** स्वास्थ्य देखभाल, आवास, बाल देखभाल, कार्यस्थल लचीलापन और युवा परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा में निवेश करना।
- **युवा-केन्द्रित नीति निर्माण:** निर्णय लेने में युवाओं को शामिल करना; उनकी आवाज और नेतृत्व के लिए मंच विकसित करना।
- **डेटा प्रणालियों को मजबूत करना:** लक्षित हस्तक्षेप और निगरानी के लिए नियमित, पृथक डेटा संग्रह।

स्रोत: द हिंदू: लिंक 1, लिंक 2

आतंकवादी नेटवर्क डिजिटल उपकरणों का दुरुपयोग कैसे करते हैं

संदर्भ

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की "आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर व्यापक अपडेट" रिपोर्ट से पता चलता है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन भुगतान सेवाओं का आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।

आतंकवादियों द्वारा गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म -

- **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म:** आतंकवादी परिचालन खरीद (उपकरण, हथियार, रसायन, 3D-प्रिंटिंग सामग्री) के लिए ऑनलाइन बाजारों का दुरुपयोग करते हैं।
    - धन स्थानांतरित करने के लिए खरीदार/विक्रेता बनकर ओवर/अंडर-इनवॉयसिंग का उपयोग करना।
    - धन जुटाने और हस्तांतरण के लिए कम मूल्य की वस्तुओं, वन्यजीवों या चोरी की कलाकृतियों का व्यापार करना।
- **ऑनलाइन भुगतान सेवाएं:** छद्म-अनाम हस्तांतरण के लिए डिजिटल वॉलेट, भुगतान गेटवे और पेपाल जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग।
    - ढीले विनियमन वाले क्षेत्राधिकारों में आकर्षण बढ़ जाता है।
- **सोशल मीडिया एवं मैसेजिंग अनुप्रयोग:** ई-कॉमर्स और भुगतान कार्यों का एकीकरण, ऐप छोड़े बिना सीधे लेनदेन की अनुमति देता है।
    - इसका उपयोग धन जुटाने, प्रचार करने और आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ी वस्तुओं को बेचने/खरीदने के लिए किया जाता है।
- **क्राउडफंडिंग साइटें:** झूठे बहाने (जैसे, फर्जी दान या कारण) के तहत धन जुटाना, जिसे आतंकवाद के लिए पुनर्निर्देशित किया जाता है।
- **वर्चुअल परिसंपत्तियां और ब्लॉकचेन:** क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन-आधारित स्थानान्तरण छद्म गुमनामी और वैश्विक पहुंच प्रदान करते हैं।
    - धन उगाही और सीमा पार स्थानान्तरण के लिए शोषण किया जाता है।
- **अनौपचारिक तंत्र:** नकदी कूरियर, हवाला नेटवर्क और मनी म्यूल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां वित्तीय निगरानी कमजोर है।
- **कानूनी संस्थाएं:** शेल कंपनियों, ट्रस्टों और कुछ गैर-लाभकारी संगठनों का उपयोग धन प्रवाह को अस्पष्ट करने और जांच से बचने के लिए किया जाता है।

इसे रोकने के लिए FATF की सिफारिशें -

- **अंतर्राष्ट्रीय जोखिमों का समाधान:** सीमा पार से आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाते हैं।
    - बहुपक्षीय रूप से नामित करने को प्राथमिकता देना (उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के तहत)।
- **विनियामक निरीक्षण का विस्तार करना:** सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स सेवाओं को एएमएल/सीएफटी (धन शोधन निरोधक/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला) मानकों के दायरे में लाना।
- **निजी क्षेत्र को शामिल करना:** खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए सरकारों, वित्तीय संस्थानों, तकनीकी कंपनियों और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
- **जोखिम विश्लेषण और निगरानी में सुधार:** नई आतंकवादी वित्तपोषण योजनाओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उभरते जोखिम आकलन को नियमित रूप से अपडेट करना।

स्रोत: [फाइनेंशियल एक्सप्रेस]